

सर्राफ व्यापारी से छल कपट करके नकली आभूषण (पीली धातु)को देकर बेईमानपूर्वक सोने के असली आभूषण ले जाने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी उझानी बदायूँ के नेतृत्व में चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन एवं अपराध पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2021 को थाना उझानी पुलिस मय हमराही फोर्स द्वारा संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चैकिंग के दौरान कस्वा उझानी में शनि मन्दिर कछला रोड़ पर अभियुक्त सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेचम सिंह नि0 नगला बाग थाना सिरसागंज फिरोजाबाद हाल निवासी मेला रोड़ सिरसागंज थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक मोटर साईकिल पल्सर बिना नम्बर रंग काला व एक अदद चाकू नाजायज व एक चैन पीली धातु बरामद हुई।

थाना उझानी पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.08.2021 को मेरे द्वारा कस्वा बिल्सी में प्रकाश ज्वैलर्स से मेरे द्वारा नकली हार व दो चूड़ी पीली धातु की देकर सर्राफ से बेईमानपूर्वक छल सोने की चार चैन लेकर चला गया था जिसमे से तीन सोने की चैन पूजा ज्वैलर्स मैन रोड़ बाजार सिरसागंज के आमोद कुमार पुत्र अमरनाथ को दे दीं तथा उनमें से एक चैन बची थी जो यही है। जिसको आज मैं कस्वा उझानी में ठिकाने लगाने के लिए आया था । जिसके सम्बन्ध में थाना बिल्सी पर मु0अ0सं0 350/21 धारा 420/ 406 भादवि पंजीकृत है। थाना उझानी व बिल्सी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू की निशानदेही पर कस्वा सिरसागंज में मैन रोड़ मैन बाजार में पूजा ज्वैलर्स की दुकान पर पहुँचकर दुकान पर मौजूद आमोद कुमार पुत्र अमरनाथ सर्राफ से इस सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो आमोद कुमार ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए तीनों चैन पीलीधातु (सोनी की प्रतीत होती है) की दुकान से निकाल कर दी। आमोद उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 411/413 भादवि से अवगत कराते हुए दिनांक 01.09.2021 को हिरासत में लिया गया । नाजायज चाकू बरामदगी के सम्बन्ध में थाना उझानी पर मु0अ0सं0 392/21 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, पेश करने के उपरान्त जेल भेज दिया गया ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

1- सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेचम सिंह नि0नगला बाग थाना सिरसागंज फिरोजाबाद हाल नि.मेला रोड़ सिरसागंज थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।

मु.अ.सं. 392/21 धारा 4/25 A.ACT

मु0अ0सं0 350/21 धारा 420/406/ 411/413 IPC

2- आमोद कुमार पुत्र अमरनाथ सर्राफ नि. मैनरोड मैन बाजार कस्वा व थाना सिरसागंज जनपद
फिरोजाबाद

मु0अ0सं0 350/21 धारा 411/413 भादवि

बरामदगी:-

1- एक पल्सर मो0सा0 बिना न0 चेसिस न0 MD2B68BX0MRB28026 अभियुक्त सतीश उर्फ संतोष उर्फ
पप्पू से

2- एक अदद चाकू नाजायज अभियुक्त सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू से

3-एक चेन पीली धातु अभियुक्त सतीश उर्फ संतोष उर्फ पप्पू से तथा 03 चेन पीली धातु अभियुक्त
आमोद कुमार से बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. श्री दिगम्बर सिंह थाना उझानी, जनपद बदायूँ ।
 2. उ.नि. श्री रामेन्द्र सिंह थाना उझानी, जनपद बदायूँ ।
 3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बिल्सी, जनपद बदायूँ
 4. का0 1376 राहुल कुमार थाना बिल्सी, जनपद बदायूँ
 5. हे.का. 406 प्रदीप कुमार थाना उझानी, जनपद बदायूँ ।
 6. का. 1134 मनोज कुमार थाना उझानी, जनपद बदायूँ ।
- का. 481 राजेश कुमार थाना उझानी, जनपद बदायूँ ।

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

जनपद बदायूँ।